आयोजनागत

संख्या-23/2016/740/18-4-2016-13(एसाइड)/15

प्रेषक,

आर0ए0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त् एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 18 मई,2016

विषय:एसाइड योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0 के पत्र संख्या-32/एसाइड/2016-17, दिनांक 18-04-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एसाइड योजनान्तर्गत पूर्व स्वीकृत स्थापनाधीन लम्बित परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित रू0 8000.00 लाख (रूपये अस्सी करोड़) में से रू0 4000.00 लाख (रू0 चालीस करोड़) मात्र की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर अपर आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ को एसाइड योजनान्तर्गत स्थापनाधीन लम्बित परियोजनाओं पर व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग पूर्व से ही बैक में उपलब्ध धनराशि का पूर्णरूप से व्यय हो जाने के उपरान्त ही एसाइड योजना के सम्बंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों एवं आदेशों, नियमों/शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(3) योजनान्तर्गत दिये गये मार्गदर्शन सिद्वान्तों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा। जहॉ पर आवश्यक हो वहॉ पर सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि का अन्य मद में व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।

(4) उपर्युकत स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि समस्त परियोजनायें एसाइड योजनान्तर्गत ही स्वीकृत की गई हैं।

(5) योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को एक मुश्त आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 खाते में जमा नहीं किया जायेगा, बल्कि इसे आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा।

(6) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाले व्यय का नियंत्रण, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्यतिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के साथ साथ उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैन्डर्ड्स आफ फाईनेन्सियल प्रोप्राइट्री) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016-बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के विशेष सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 एवं 2 उ0प्र0 इलाहाबाद तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-3 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-निर्यात सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं एवं अन्य क्रिया-कलापों के विकास हेतु राज्य को सहायता (एसाइड) योजना-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-23/2016/740(1)/18-4-2016 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1)सी0ए0एस0एस0-3/टी0डी0ए0 को आर्डीनेशन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा-हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- सचिव- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, स्टेट सेल, डिपार्टमेन्ट आफ कामर्स, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5- निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
7- वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय-125 जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त, (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in